



<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>13/2/26</p>	<p>अधिवक्ता उभयपक्ष उप०। अधिवक्ता अपीलाण्ट जीष रेस्पी. सं. 1, 2, 6 से 11, 15 से 18, 20 के पंजीकृत सम्मन पेश करे। पत्रावली अधिवक्ता न्यायालय की तलब हो। पत्रावली आंगण दिनांक 28/4/26 को पेश हो। </p>	
<p>28/4/26</p>	<p>अधिवक्ता उभयपक्ष उप०। प्रकरण में आदेशिका जिनांक 26/8/2025 द्वारा अधिवक्ता अपीलाण्ट की जीष रेस्पी के पंजीकृत सम्मन पेश करने हेतु निर्देशित किया गया, तथा आदिनांक तक पर्याप्त अवसर दिये गये। किन्तु अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा आकबुझकर आदिनांक पर भी न्यायालय आदेशों की पाठना में जीष रेस्पी. सं. 1, 2, 6 लगाकर 1, 15 लगाकर 18 व 20 पंजीकृत सम्मन पेश नहीं किये गये। अतः अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय आदेशों की अवहेलना करने से उक्त अपील अदालत तस्वील में धारण की जाती है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्मित की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही दार्जिलिंग दफतर में।  <b>सचिव न्याय प्रशासक</b> दार्जिलिंग</p>	